"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015— माघ 27, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-2/2015/जन.नि./42. — छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) नियम, 2015 कहलाएंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी.-** (1) राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो,-

   (क) अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या तकनीकी शिक्षा का प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हो; या

   (ख) संविदा पर खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा यथा-निर्णीत एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसमर्थित की जाने वाली अर्हताएं धारित करने वाला व्यक्ति हो.

   (2) उप-धारा (1) के खंड (ख) की दशा में, निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा तैयार किये गये एक से तीन नामों के पैनल के आधार पर, नियुक्ति की जाएगी :-

   (क) मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) राज्य सरकार में वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव; और

(ग) राज्य सरकार में जनशक्ति नियोजन विभाग का भारसाधक सचिव.

(3) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की अर्हताएं, प्रक्रिया और सेवा के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णीत हों, एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुसमर्थित की जायें.

(4) चयन समिति, शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञ सहयोजित कर सकेगी.

(5) चयन समिति द्वारा तैयार किया गया पैनल, मुख्य मंत्री सह अध्यक्ष, शासी परिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा, जो पैनल से किसी व्यक्ति की नियुक्ति का या तो अनुमोदन कर सकेगा या नया पैनल मंगा सकेगा.

No. F 9-2/2015/MPP/42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 read with clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the Chief Executive Officer, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development (Chief Executive Officer) Rules, 2015.

(2) These shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Chief Executive Officer.-** (1) The State Government shall appoint the Chief Executive Officer of the Chhattisgarh State Skill Development Authority, who shall be-

(a) a member of an All India Service, or a first class Gazetted officer of Technical Education; or

(b) a person on contract, having such qualifications as may be decided by the Chairperson of the Executive Committee to be ratified by the Executive Committee, recruited through open advertisement.

(2) In case of clause (b) of sub-section (1), the appointment shall be made on the basis of a panel of one to three names, prepared by a selection committee comprised as follows:-

(a) Chief Secretary cum Chairperson, Executive Committee, who shall be chairperson of the selection committee;

(b) the seniormost Additional Chief Secretary in the State Government; and

(c) the Secretary in charge of the Manpower Planning Department in the State Government.

(3) The qualifications, procedure and the terms and conditions of service of the person to be appointed under clause (b) of sub-section (1), shall be such as may be decided by the Chairperson of the Executive Committee, to be ratitfed by the Executive Committee.

(4) The selection committee may co-opt an expert for interview of the camdidates shortlisted.

(5) The panel prepared by the selection committee shall be submitted to the Chief Minister cum Chairperson, Governing Council, who may either approve the appointment of any person from the panel, or call for a fresh panel.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.